HAMIRPUR POLICE

थाना जरिया **दिनाँक-25.03.2024**

थाना जरिया पुलिस द्वारा अवैध शराब का निर्माण व बिक्री करने वाला अभियुक्त अवैध कच्ची शराब व शराब निर्माण उपकरण सहित गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद हमीरपुर के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण व बिक्री के रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 25.03.2024 को थाना जरिया पुलिस द्वारा ग्राम उमरिया में छापेमारी कर अवैध कच्ची शराब का निर्माण व बिक्री करने वालें अभियुक्त अलखराम राजपूत पुत्र भईयाराम राजपूत को उसके कब्जे से 30 लीटर अवैध कच्ची शराब , 150 किलोग्राम लहन तथा शराब बनाने के उपकरण बरामद करते हुए गिरफ्तार किया गया । बरामद लहन को मौके पर नष्ट किया गया । जिसके सम्बन्ध में थाना जरिया में मु0अ0सं0 76/2024 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अलखराम राजपूत पुत्र भईयाराम राजपूत निवासी ग्राम उमरिया थाना जरिया जनपद हमीरपुर उम्र करीब 50 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

1. 30 लीटर अवैध कच्ची शराब 2. 150 किलोग्राम कुंतल लहन (मौके पर नष्ट) 3. शराब बनाने के उपकरण बरामद ।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 306/2023 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम ।
2. मु0अ0सं0 305/2023 धारा 13 जी0 एक्ट ।
3. मु0अ0सं0 73/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम ।
4. मु0अ0सं0 44/2020 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम ।
5. मु0अ0सं0 215/2023 धारा 60 आबकारी अधिनियम ।
6. मु0अ0सं0 74/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम ।
7. मु0अ0सं0 76/2024 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम । (समस्त अभियोग थाना जरिया हमीरपुर)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. थानाध्यक्ष प्रिन्स दीक्षित
2. व0उ0नि0 रमाकान्त शुक्ल
3. उ0नि0 कृष्ण दत्त शुक्ल
4. हे0का0 शिवेन्द्र सिंह
5. का0 कपिल कुमार
6. का0 बृजेश कुमार
7. का0 पंकज कुमार
8. म0का0 शिवांगी सिंह